

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला
राजसमंद**

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 158/2024

किस्म :- प्रार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 18.11.2024

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

—:अनवान:—

1. गोपी लाल पिता शंकर लाल जी जाति सालवी उम्र वयस्क निवासी वामनिया कलां तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

.....प्रार्थी

बनाम

1. अनिता पुत्री रमेश ढोली उम्र वयस्क निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. ख्याली देवी पत्नी रमेश ढोली उम्र वयस्क निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. देवका पुत्री रमेश ढोली उम्र वयस्क निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. प्रेमा पुत्री रमेश ढोली उम्र वयस्क निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. पिंकी पुत्री रमेश ढोली उम्र वयस्क निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. ब्रजेश पुत्र बंशी लाल जी ढोली उम्र वयस्क निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. रजनी पुत्री रमेश ढोली उम्र वयस्क निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. राधेश्याम पुत्र बंशी लाल ढोली उम्र वयस्क निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. सुगना बाई पुत्री बिहारी लाल ढोली उम्र वयस्क निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वास्ते,

.....विपक्षीगण

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुकमनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 506/3 रकबा 1.0522 है.भूमि ग्राम चाम्पाखेडी पटवार हल्का पछमता तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जावे । फिस पत्थरगढी 1500/- रूपये अक्षरे. एक हजार पांच सौ रूपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुकमनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुकमानामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद